

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)

PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721

E-mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक: ए7/सहरिया/सीटीएडी/एनीकट/2020-21/16731-39

दिनांक : 30/06/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी,
सहरिया विकास परियोजना शाहबाद,
जिला बारां।

विषय :- एनिकट निर्माण एवं नहर मरम्मत कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 1272 दिनांक 16.04.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 9345-53 दिनांक 13.05.2020 द्वारा पीपल्दा एनिकट निर्माण कार्य छिनोद, किशनगंज तथा नागोरी एनिकट निर्माण एवं नहर मरम्मत कार्य, शाहबाद जिला बारां की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी।

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग खण्ड तृतीय बारां से उक्त कार्य का तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से पीपल्दा एनिकट निर्माण कार्य छिनोद, किशनगंज तथा नागोरी एनिकट निर्माण एवं नहर मरम्मत कार्य, शाहबाद जिला बारां की निम्नांकित शर्तों के अधीन वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है:-

कार्यकारी एजेन्सी- जल संसाधन विभाग खण्ड तृतीय बारां

(राशि लाख रु. में)

क्र. स.	कार्य स्थान का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति		(प्रथम किस्त)	0.25 % कन्टिजेन्सी. चार्ज राशि आयुक्त खाते में	प्रथम किस्त हस्तान्तरण योग्य राशि (6-7)
			क्र./दि.	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पीपल्दा एनिकट निर्माण कार्य छिनोद, किशनगंज	30.48	EE/WR-III/Tech./Estt./2 07.04.2021	30.33	15.16	0.04	15.12
2	नागोरी एनिकट निर्माण एवं नहर मरम्मत कार्य शाहबाद जिला बारां	53.85	EE/WR-III/Tech./Estt./1 07.04.2021	53.06	26.53	0.07	26.46
	योग	84.33		83.39	41.69	0.11	41.58

उपरोक्त कार्यों की कुल स्वीकृत राशि रूपये 83.39 लाख के विरुद्ध प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) राशि रूपये 41.69 लाख की हस्तांतरित राशि रूपये 41.58 लाख की व्यवस्था आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 71/2020-21 दिनांक 24.03.2021 में उपलब्ध राशि 84.33 लाख से की जायेगी।

शर्त :-

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे।

2. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना अनुसार किया जावे। तकमीना के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस
4. विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। कार्यादेश की प्रति भिजवाई जावे।
5. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र मय फोटोग्राफ के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटावे।
6. स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. निविदा आदि कारणों से कार्य में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
8. स्वीकृत कार्यों का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।

— sd —
(प्रज्ञा केवलरमानी) I.A.S.
आयुक्त

क्रमांक : यथोपरि / 16731-39
प्रतिलिपि :

दिनांक 30/06/2021

1. निजी सहायक, मा.राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बारां।
4. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग खण्ड तृतीय बारां जिला बारां।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 71/2020-21 दिनांक 24.03.2021 में उपलब्ध राशि 84.33 लाख में से तालिका के कॉलम संख्या 2 में वर्णित कार्यों हेतु कॉलम संख्या 8 अनुसार राशि अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास परियोजना शाहबाद, जिला बारां को हस्तांतरित करावे। विभागीय आदेश क्रमांक 9609-34 दिनांक 12.03.2021 के क्रम में हस्तांतरित राशि पर देय कन्टीन्जेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत राशि रु. 0.63 लाख में से 0.25 प्रतिशत राशि रु. 0.11 लाख प्रोजेक्ट मोनिटरिंग हेतु आयुक्तालय में रखे जावे व पृथक से पुस्तांकन करे।
6. मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

(9)
अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर